

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

बहराइच-गोण्डा मार्ग एस0एच0-30 के किमी0 4.150 से किमी0 64.282 तक मार्ग के सुदृढीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रस्तावित 15.33 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 8546 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 82.7212 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 35693 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/147236/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें – पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-181/81-2-2023-800(176)/2023 दिनांक 28 जून 2023 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूट टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 28-06-2023 15:30:18

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-पी-181/81-2-2023-800(176)/2023

प्रेषक,

आशीष तिवारी

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 28 जून 2023

विषय- बहराइच-गोण्डा मार्ग एस०एच०-30 के किमी० 4.150 से किमी० 64.282 तक मार्ग के सुदृढीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रस्तावित 15.33 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 8546 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 82.7212 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 35693 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/147236/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-3920/11-सी-एफपी/यूपी/रोड/147236/2021 दिनांक 13.06.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बहराइच-गोण्डा मार्ग एस०एच०-30 के किमी० 4.150 से किमी० 64.282 तक मार्ग के सुदृढीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रस्तावित 15.33 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 8546 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 82.7212 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 35693 वृक्षों के पातन की अनुमति से सम्बन्धित प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है।

2- अतएव विषयगत प्रस्ताव मूलरूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक - प्रस्ताव की मूल प्रति तथा पेनडाइव सहित।

भवदीय,

Signed by आशीष तिवारी

Date: 28-06-2023 15:29:56

(आशीष तिवारी)

Reason: Approved

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. वन संरक्षक देवीपाटन वृत्त गोण्डा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच, गोण्डा एवं श्रावस्ती।
4. अधिशासी अभियन्ता वाहय सहायित परियोजना खण्ड लोक निर्माण विभाग बहराइच।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)

सचिव।